

11

फर्द अहकाम

(नियम 13)

6 CMS

2020/00011

7/1/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. प्रेमाहलका निबलकोटपुत्र श्री. अनुरा जाति ढाडीनिवासी- निबलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 11/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका <u>निबलकोट</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा <u>निबलकोट</u> के खसरा नंबर <u>348</u> रकबा <u>2000 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>अनु</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली माह पेश हुई। गैर सायल व पटवारी इत्का उपस्थित। गैर सायल ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। गैर सायल को एक और सवलत दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p>अनुरा प. निबलकोट</p>

13-8-2020


पत्रावली भाण पेश हुई और साधल अनुपस्थित।
पठवारी हलक अनुपस्थित। पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई और साधल
अनुपस्थित। पठवारी हलक उपस्थित।
और साधल को भाणिकारी घोषित करते
हुए पत्रावली फेसल सुनार है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। निर्णय हुके प्राप्तावधि में
सुनाया जाय। पत्रावली फेसल सुनार
है कर दारिद्र्य दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


पं. निम्बलकोर